241 (7) पुनः नियुक्त पेंशनभोगियों का वेतन–निर्धारण–सामान्य पॉलिसी–पेंशन की छूट की सीमा बढ़ाना

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 29.10.96 के कार्यालय ज्ञ. सं. 3/3/85–एस एवं ए प्रकोष्ठ की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत 55 वर्ष की आयु होने से पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गए उन अधिकारियों की सर्विस अधिकारी या समूह ''क'' के पदधारक अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के मामले में 500/–रू. तक की पेंशन को छोड़ दिया जाना होता है।

2. उपबंधो में आगे और उपबंधों में छूट दिए जाने के प्रश्नों पर विचार किया गया और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 7.11.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/4/97–स्था.(वेतन–II) के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि 55 वर्ष की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सर्विस अधिकारी और अन्य अधिकारी जो पुनः नियुक्ति पर समूह ''क'' का पद धारण करने वाले सिविल अधिकारियों छोड दी गई पेंशन जो कि पहले संशोधित वेतनमान में 500/- रू. बढ़ाकर 15000/–रू. किया जाता है।

3. वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए पेंशन का अभिप्राय कुल मासिक पेंशन है। यह निर्देश 1.1.96 से लागू होंगे। सम्पूर्ण पेंशन पर प्रतिमाह 1500/–रू. की सीमा, जैसा भी मामला हो, 1.1.96 को या उसके बाद पुनर्नियुक्ति पेंशनभोगियों के मामलों पर लागू होगी। पहले से ही नियुक्त पेंशनधारियों के मामलों में, उनका वेतन 1.1.96 से इन अनुदेशों के तहत पुनर्निधारित किया जाएगा, बशर्ते कि इन अनुदेशों का अंगीकरण करने वाले लोक उद्यमों द्वारा इनको स्वीकार करने की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर ऐसे पुनः निर्धारण के लिए वे लिखित में विकल्प दें, यदि वे ऐसा विकल्प देते हैं, तो उनके मामलों को इस प्रकार से नए तरीके से निर्धारित किया जाएगा मानों कि 1.1.96 से उन्हें पहली बार पुनर्नियुक्त किया गया हो।

4. लोक उद्यम बोर्ड (अब लोक उद्यम विभाग) द्वारा तारीख 6.3.89 के कार्यालय ज्ञा.सं. 3/3/85–एस व ए. द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को उपर्युक्त के संदर्भ में संशोधित माना जाएगा। पुनः नियुक्त पेंशनरों का वेतन निर्धारण इन उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, सिवाए इन मामलों के जिनमें पुनः नियुक्त पेंशनर अधिवर्षिता पर सेवा अवधि/शेष अवधि पूरी करने के बाद पहले ही सेवानिवृत्त हो गए हों।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/भारत सरकार के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे पूर्वगामी को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले लोक उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(लो.उ.वि. का 26 फरवरी, 2002 का कार्या.ज्ञापन. सं. के–114/97–लो.उ.वि.(डब्ल्यू सी) जी एल.)